भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1212

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष चिकित्सा की गुणवत्ता

1212. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादवः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष ग्रिड प्लेटफार्मों, ए-एचएमआईएस और ई-औषधि के अनुप्रयोगों के बाद से किस प्रकार दक्षता और पारदर्शिता में सुधार हुआ है;

(ख) दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच का विस्तार करने में आयुष टेलीमेडिसिन और ई-संजीवनी एकीकरण से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) सरकार, प्रयोगशालाओं और परीक्षण प्रोटोकॉल के माध्यम से आयुष दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है; और

(घ) अस्पतालों, महाविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों की योजना और नियोजन को इष्टतम बनाने के लिए पीएम गति शक्ति आयुष परिसंपत्ति मानचित्रण उपकरण का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, आयुष ग्रिड परियोजना, आयुष क्षेत्र के लिए एक व्यापक डिजिटल आधार के रूप में कार्य करती है जिसका उद्देश्य, स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा तथा जागरूकता, औषधि प्रशासन, क्षमता निर्माण एवं औषधीय पौधों से संबंधित सेवा वितरण को सदृढ़ करना है। इस पहल के तहत, आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (ए-एचएमआईएस) और ई-औषधि सहित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। ए-एचएमआईएस को आयुष सुविधाओं द्वारा रोगी देखभाल सेवा बढ़ाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और डेटा-संचालित निर्णय लेने में सहायता के लिए अपनाया गया है। यह निदान-तंत्र, उपचार प्रक्रिया और सेवा वितरण को मानकीकृत करता है, जिससे संस्थागत जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार होता है।

ई-औषधि एक आईटी सक्षम ऑनलाइन पोर्टल है जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार, विनिर्माताओं को आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी एवं होम्योपैथी दवाओं के विनिर्माण हेतु उनके संबंधित राज्य (आयुष) लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस प्रदान करने और/या नवीनीकरण करने के लिए है। पोर्टल, आवेदनों की कागज रहित प्रक्रिया और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

(ख): ई-संजीवनी और आयुष टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म को समावेशी तथा सुलभ प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, जो सभी को मुफ्त टेली-परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। इन प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आयुष सेवाओं ने आयुष ओपीडी का संचालन करके दूरदराज और अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार किया है। ये सेवाएं भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों में संचालित हैं। इन उपायों से अंतिम छोर तक सेवा वितरण के माध्यम से परामर्श तक पहुंच में सुधार हुआ है, डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से देखभाल सेवा की निरंतरता में मदद मिली है, रोगियों का बोझ और लागत कम हुई है, तथा कई स्थानों पर आयुष विशेषज्ञों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग हो सका है।

(ग): प्रयोगशालाओं और परीक्षण प्रोटोकॉल के माध्यम से आयुष दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदम निम्नप्रकार हैं:

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी एवं होम्योपैथी दवाओं के लिए विशेष नियामक प्रावधान हैं। आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा एवं यूनानी औषधियों से संबंधित प्रावधान, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय IV-क और अनुसूची-I में तथा औषधि नियम, 1945 के नियम 169 से 151, अनुसूची-ङ (I), न एवं नक- में निहित हैं। इसके अलावा, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची (4-क) में होम्योपैथिक औषधियों के लिए मानक प्रदान किए गए हैं और औषधि नियम, 1945 के नियम 2-घघ, 30-कक, 67 (ग-ज), 85 (क से ठ), 106-क, अनुसूची-ट, अनुसूची-ड-I होम्योपैथिक औषधियों से संबंधित हैं। विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे सुरक्षा एवं प्रभावशीलता के प्रमाण सहित विनिर्माण इकाइयों तथा दवाओं के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करें, औषधि नियम, 1945 की अनुसूची-न तथा अनुसूची-ड-I के अनुसार उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) और संबंधित भेषजसंहिताओं में दी गई दवाओं के गुणवत्ता मानकों का पालन करें।
- भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच), जो आयुष मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) दवाओं के लिए फॉर्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है जो एएसयूएंडएच दवाओं की गुणवत्ता (पहचान, शुद्धता और शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में कार्य करते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियमों के अनुसार, एएसयूएंडएच दवाओं के विनिर्माण के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है।
- पीसीआईएमएंडएच, एएसयूएंडएच दवाओं के परीक्षण या विश्लेषण के लिए अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, यह औषधि नियामक प्राधिकरणों, औषधि विश्लेषकों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के लिए एएसयूएंडएच दवाओं के मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण या विश्लेषण के लिए नियमित अंतराल पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करता है, जिनमें एएसयूएंडएच दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रयोगशाला तकनीकों और कार्य-पद्धतियों पर ध्यान दिया जाता है।
- औषधि नियम, 1945 के नियम 160-क से ञ में आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता तथा शक्ति के ऐसे परीक्षण करने के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के अनुमोदन हेतु विनियामक दिशा-निर्देश हैं जो इन नियमों के उपबंधों के तहत आयुर्वेदिक, सिद्ध तथा यूनानी औषधियों के विनिर्माण हेतु लाइसेंसधारक के लिए अपेक्षित हों। अब तक, 34 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उनकी ढांचागत और कार्यात्मक क्षमता को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों तथा कच्चे माल के गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि नियम, 1945 के उपबंधों के अंतर्गत 108 प्रयोगशालाओं को अनुमोदित किया गया है अथवा लाइसेंस दिया गया है।
- आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में एक आयुष वर्टिकल स्थापित किया है, जिसमें 1 उप औषधि नियंत्रक, 4 सहायक औषधि नियंत्रक और 4 औषधि

निरीक्षक के पद हैं। आयुष वर्टिकल में तैनात औषधि निरीक्षक, आयुष दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग अधिकारियों/औषधि निरीक्षकों के साथ समन्वय करके विभिन्न विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण करते हैं।

(घ): आयुष परिसंपत्तियों की मैपिंग के लिए एक समर्पित ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम "पीएम गतिशक्ति आयुष एसेट मैपिंग टूल" है। सटीक अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हुए इस ऐप का उपयोग आयुष स्वास्थ्य सुविधा, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों आदि की मैपिंग में किया जा रहा है, जिससे नई आयुष सुविधा/महाविद्यालय आदि की स्थापना की योजना बनाने में मदद मिल रही है।

*****